"**website**"

कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन
सतपुडा भवन,भोपाल–462004

क्रमांक–35 /337/आउशि/संबद्धता/16 भोपाल, दिनांक–4-1-17

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषयः–अशासकीय महाविद्यालय का नाम परिवर्तन किये जाने के संबंध में निर्देश।

—00—

यह देखने में आया है कि कतिपय विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा कोई विवाद/ /न्यायालयीन/अपराधिक/सामूहिक नकल/अनैतिक गतिविधियों एवं अन्य कोई प्रकरण दर्ज रहने की स्थिति में मूल तथ्यों को छिपाकर महाविद्यालय के नाम में परिवर्तन करने हेतु इस कार्यालय को इसलिये आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है कि पूर्व नाम से प्रचलित उक्त प्रकरणों में जिम्मेदारियों से बचा जा सके।

2. अतः समस्त संचालित अशासकीय महाविद्यालयों को यह सूचित किया जाता है कि यदि भविष्य में महाविद्यालय का नाम परिवर्तन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो पंजीकृत समिति के ठहराव प्रस्ताव में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा कि महाविद्यालय के नाम से कोई विवाद/ न्यायालयीन /अपराधिक/सामूहिक नकल/अनैतिक गतिविधियों एवं अन्य कोई प्रकरण पंजीबद्ध/दर्ज है अथवा नहीं। यदि नाम परिवर्तन के पश्चात् भी महाविद्यालय के पूर्व नाम से कोई प्रकरण दृष्टिगत होता है, तो महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।

3 महाविद्यालय का नाम परिवर्तन करने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ उक्त आशय का रूपये 50/–के "नॉन–ज्यूडिशियल" स्टाम्प पर संलग्न प्रारूप अनुसार तस्दीक शपथ पत्र तथा संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव का संस्था की छवि संबंधी प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

भविष्य में महाविद्यालय का नाम परिवर्तन करनें के उपरान्त समस्त पत्र–व्यवहार में महाविद्यालय के पूर्व के नाम का भी उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

संलग्न– शपथ पत्र प्रारूप.

(एम.बी. ओझा)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश.

——2.

पृ. कमांक– 36 / 337/आउशि/सम्बद्वता/16. भोपाल, दिनांक– 4-1-17

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1– प्रमुख सचिव के निज सहायक, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।

2– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।

3– समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

4– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश।

5– कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।

6– प्राचार्य, समस्त अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

——की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश.

विद्यमान अशासकीय महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का नाम परिवर्तन करने हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित शपथ पत्र का प्रारूप

//शपथ–पत्र//

मैं ....निवास...
पंजीकृत समिति...में अध्यक्ष/सचिव हूँ। समिति द्वारा महाविद्यालय का नाम परिवर्तन करने के संबंध में शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ कि–

(1) यह कि समिति द्वारा महाविद्यालय का सचांलन वर्ष...................से निरंतर किया जा रहा है।

(2) यह कि पंजीकृत समिति के सभी सदस्यों द्वारा महाविद्यालय का नाम परिवर्तन किये जाने के संबंध में पारित प्रस्ताव के संदर्भ में आवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

(3) यह कि महाविद्यालय ....का नाम परिवर्तन कर................ ....महाविद्यालय किया जा रहा है। इसका कारण है कि–

....

....

(4) यह कि समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय जिसका नाम परिवर्तन प्रस्तावित है, के नाम से कोई विवाद/न्यायालयीन/अपराधिक/सामूहिक नकल/अनैतिक गतिविधियों एवं अन्य कोई प्रकरण पंजीबद्ध/दर्ज नहीं है। यदि भविष्य में महाविद्यालय के पूर्व नाम से कोई प्रकरण दृष्टिगत होता है, तो महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।

(5) यह कि कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा की अनुमति के उपरान्त महाविद्यालय का नाम परिवर्तन कर लेने के पश्चात् समस्त पत्र–व्यवहार में महाविद्यालय के पूर्व के नाम का भी उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

(6) अन्य कोई जानकारी–

अध्यक्ष/सचिव